

BPSC छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के वरिद्ध शिकायत

चर्चा में क्यों?

बिहार के एक अधिकारी ने कथित [पेपर लीक](#) के बाद 70वीं BPSC संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगी परीक्षा (CCE) की पुनर्परीक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे BPSC छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज के संबंध में [राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग \(NHRC\)](#) में शिकायत दर्ज कराई है।

मुख्य बिंदु

- परीक्षा विवाद:
 - 13 दिसंबर, 2024 को आयोजित BPSC परीक्षा में 912 केंद्रों पर 3.28 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए।
 - एक परीक्षा केंद्र पर पेपर लीक होने के आरोपों के कारण प्रभावित अभ्यर्थियों के लिये 4 जनवरी, 2025 को पुनः परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की गई।
 - आयोग ने पेपर लीक की बात को खारज करते हुए यह स्पष्ट किया कि अन्य केंद्रों पर परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की गई।
- वरिद्ध प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई:
 - 15 दिनों तक BPSC अभ्यर्थियों ने न्याय की मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग में वरिद्ध प्रदर्शन किया।
 - 28 दिसंबर, 2024 को पुलिस ने भीड़ को तलितर-बतितर करने के लिये लाठियों और पानी की बौछारों का उपयोग किया।
 - लाठीचार्ज के बाद छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से मुलाकात कर अपनी मांगें रखीं।
- अत्यधिक बल प्रयोग के आरोप:
 - आरोप है कि पुलिस ने छात्रों की हड्डियाँ तोड़ दीं और हाथ जोड़कर शांतपूरण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर भी अंधाधुंध बल प्रयोग किया।
 - पुलिस ने ठठुरती सर्दियों की रातों में प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें कीं तथा इस कार्रवाई को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन बताया।
 - शिकायत में यह भी दावा किया गया कि पुरुष पुलिस अधिकारियों ने वरिद्ध अधिकारियों की मौजूदगी में महिला प्रदर्शनकारियों की बेरहमी से पटाई की।
- संवैधानिक एवं नैतिक उल्लंघन:
 - अत्यधिक बल का प्रयोग [संवैधानिक अनुच्छेद 19\(1\)\(b\)](#) का उल्लंघन है, जो शांतपूरण सभा के अधिकार की गारंटी देता है।
 - आचार संहिता का उल्लंघन किया गया क्योंकि [भारत की पुलिस आचार संहिता](#) के सडिधांत 4 में इस बात पर बल दिया गया था कि बल का प्रयोग न्यूनतम होना चाहिये तथा अनुनय, सलाह और चेतवनी के बाद ही अंतमि उपाय के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिये।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

NHRC के अनुसार, मानवाधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार हैं जिनकी सुनिश्चितता संविधान द्वारा की गई है या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में सन्निहित है, जो भारत में न्यायालयों द्वारा लागू किये जाने योग्य हैं।

- भारत में मानवाधिकारों का प्रहरी
- **स्थापना:** वर्ष 1993 (मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुरूप)
- **अधिनियम:** मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993

राज्य मानवाधिकार आयोग

- PHR अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित
- **सदस्यों की नियुक्ति:** राज्यपाल द्वारा
- **सदस्यों का निष्कासन:** राष्ट्रपति द्वारा

मानवाधिकार दिवस: 10 दिसंबर

कार्य

- ④ मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी शिकायतों की जाँच करना
- ④ मामलों का स्वतः संज्ञान
- ④ मानवाधिकार कार्यान्वयन की समीक्षा और अनुशंसा करना
- ④ मानवाधिकार जागरूकता फैलाना
- ④ मानवाधिकार मुद्दों पर अध्ययन करना, रिपोर्ट प्रकाशित करना

शक्तियाँ

- ④ व्यक्तियों को समन देना, गवाहों की जाँच करना और साक्ष्य प्राप्त करना
- ④ यह सुनिश्चित करने के लिये जेलों और अन्य संस्थानों का निरीक्षण करना कि यहाँ स्थितियाँ मानवीय हैं
- ④ मानवाधिकारों से संबंधित न्यायालयी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना

NHRC के सदस्य

संघटन

- ④ 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 मानद सदस्य
- ④ **अध्यक्ष:** सेवानिवृत्त CJI/SC के न्यायाधीश
- ④ **प्रशासनिक प्रमुख:** महासचिव

नियुक्ति

- ④ **6 सदस्यीय समिति** (प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, केंद्रीय गृहमंत्री और संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता) की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सभी सदस्य

कार्यकाल

- ④ 3 वर्ष / 70 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो)

निष्कासन

- ④ राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी सदस्य को निष्कासित कर सकता है
- ④ **आधार:** दुर्व्यवहार या अक्षमता के आरोप सिद्ध होने पर

राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक

गठबंधन (GANHRI) में स्थिति:

- NHRC को वर्ष 1999 से 'A' श्रेणी का दर्जा प्राप्त है
- 'A' श्रेणी की स्थिति : वर्ष 2006, 2011 और 2017 में बरकरार रही
- 'A' स्थिति का निलंबन: वर्ष 2023 और वर्ष 2024



Drishti IAS